माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुहास चकमा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

(रिट याचिका संख्या 1082/2020) में जारी निर्देशों के अनुपालन में

न्यायालयः सैशन न्यायाधीश, दौसा जिला दौसा

सचिन, नरेन्द्र **बनाम राजस्थान राज्य**

दाण्डिक जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या :	138/2026 व 139/2026
आदेश दिनांक :	03.06.2026
आदेश का प्रकार :	
(अ) जमानत अस्वीकृत	**जमानत अस्वीकृत**
(ब) दोषसिद्धि/अपील अस्वीकृत	
(स) दोषमुक्ति से पलट कर दोषसिद्धि	

अभियुक्त/आवेदक को सूचित किया जाता है कि वह इस न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने हेतु निःशुल्क विधिक सेवा निम्नलिखित स्थानों पर प्राप्त कर सकता है :–

ताल्लुका विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (न्यायालय में स्थित) :	**उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति**
विधिक सेवा समिति का पता :	**उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर (राज.)**
फोन नम्बर :	0141–2227481
टोल फ्री नम्बर :	9928900900
हैल्प लाइन नम्बर :	15100

न्यायालय : सैशन न्यायाधीश, दौसा जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : केशव कौशिक, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
(UID No.RJ00156)

दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या : 138/2026

सी.एन.आर. नम्बर : RJDS010006312026

सचिन पुत्र ख्यालीराम, उम्र 18 वर्ष निवासी धनावड़ पुलिस थाना कोलवा जिला दौसा (राजस्थान)। ...प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक । ...अभियोगी

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 51/2026 पुलिस थाना पापड़दा जिला दौसा अपराध
अन्तर्गत धारा 140 (3), 308(5), 127(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थितः

1. श्री गुरु महेश्वर गंगावत व सुश्री निधि शर्मा, विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री गोपाल लाल शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

———————

दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या : 139/2026

सी.एन.आर. नम्बर : RJDS010006332026

नरेन्द्र पुत्र कृष्णलाल, उम्र 19 वर्ष निवासी कोटा पट्टी ढिगारिया तहसील लवाण जिला दौसा (राजस्थान)। ...प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक । ...अभियोगी

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 51/2026 पुलिस थाना पापड़दा जिला दौसा अपराध
अन्तर्गत धारा 140 (3), 308(5), 127(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थितः

1. श्री सीताराम दायमा, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री गोपाल लाल शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

आदेश **दिनाँकः 03.06.2026**

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सचिन व नरेन्द्र की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत यह दोनों जमानत प्रार्थना–पत्र पेश किए जाने पर नकल प्रार्थना–पत्र विद्वान् लोक अभियोजक को दिलाई जाकर केस डायरी तलब की गई एवं बहस जमानत प्रार्थना–पत्र सुनी गई। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सचिन व नरेन्द्र की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 380 बीएनएसएस को विद्वान अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा द्वारा क्रमशः दिनाँक 27.05.2026 व 30.05.2026 को खारिज किये गये हैं। उक्त दोनों जमानत प्रार्थना–पत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने से इनका इस आदेश द्वारा एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

2. विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त सचिन की ओर से बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। प्रार्थी का इस प्रकरण से कोई लेना–देना नहीं है। प्रार्थी से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी दिनाँक 18.05.2026 को गिरफ्तार किया गया है, तभी से वह अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगेगा। प्रार्थी का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, न ही उसके विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्रार्थी नवयुवक है, जिसके जेल में रहने से उसका भविष्य खराब हो जायेगा। अतः उसे जमानत का लाभ दिये जाने निवेदन किया गया।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त नरेन्द्र की ओर से बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। उससे कोई बरामदगी शेष है। प्रार्थी दिनाँक 18.05.2026 को गिरफ्तार किया गया है, तभी से वह अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगेगा। प्रार्थी का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और न ही उनके कृत्य को बताया गया है। प्रार्थी नवयुवक है, जिसके जेल में रहने से उसका भविष्य खराब हो जायेगा। अतः उसे जमानत का लाभ दिये जाने निवेदन किया गया।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध किया। उनका तर्क रहा है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध गम्भीर अपराधों के आरोप हैं, वे घटना में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। अभियुक्तगण व मुस्तगीस की लोकेशन घटनास्थल पर पाई गई है तथा अब तक के अनुसंधान से प्रथम दृष्टया उनके विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाया

गया है। अतः अपराध की गम्भीरता को देखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ नहीं दिये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार होना बताया है:–

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर	धारा	पुलिस थाना	नतीजा
–	–	शून्य	–	–

5. उभयपक्ष के तर्कों पर विचार किया गया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी कैलाश चंद गुर्जर, निवासी ग्राम कुठानिया, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं, जो वाहन चालक का कार्य करता है, ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत की कि लगभग 20 दिन पूर्व उसकी फेसबुक आईडी पर "पूजा गुर्जर" नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। इसके पश्चात दोनों के मध्य फेसबुक पर चैटिंग होने लगी। चैटिंग के दौरान उक्त महिला ने एक क्यूआर स्कैनर भेजकर उससे 500/– रुपये डलवाए। बाद में मोबाइल नम्बर 9783698410 से व्हाट्सएप पर बातचीत होने लगी तथा विभिन्न अवसरों पर उससे 10,000/– रुपये से 20,000/– रुपये तक की धनराशि की मांग की जाती रही। तत्पश्चात मोबाइल नम्बर 9983250353 से भी व्हाट्सएप पर संदेश एवं बातचीत प्रारम्भ हुई तथा उसे मिलने के लिए दौसा के आलूदा बुलाया गया, साथ ही अपनी लोकेशन भी भेजी गई। दिनांक 17.05.2026 को परिवादी उक्त लोकेशन पर मिलने हेतु आलूदा पहुँचा। टैक्सी से उतरकर लोकेशन की ओर जाते समय एक युवक मोटरसाइकिल से उसके पीछे आया, जिसकी लिफ्ट लेकर वह कुछ दूरी तक गया। थोड़ी दूर बाद उतरते ही वाहन संख्या RJ 60 CJ 2105 में सवार चार व्यक्तियों ने उसके सामने वाहन रोककर उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया तथा उसका मोबाइल फोन छीन लिया। आरोपियों ने उसे लगभग 2–3 किलोमीटर दूर सुनसान स्थान पर ले जाकर मारपीट की तथा 50,000/– की मांग की। परिवादी द्वारा पैसे देने से इंकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई, जिसके कारण उसने अपने जीजा से 10,000/– मंगवाकर आरोपियों को दिलवाए। इसके बाद भी आरोपियों ने और धनराशि की मांग की तथा पुनः मारपीट की। तब परिवादी ने अपने सेठ से बात कराने का अनुरोध किया। आरोपियों द्वारा सेठ से बात कराई गई, जिसने कुछ समय में पैसे भेजने की बात कही। इस दौरान आरोपी उसे वाहन में बैठाकर इधर–उधर घुमाते रहे। इसी बीच खेडली मोड़ के पास पुलिस ने उक्त वाहन को रुकवाया और परिवादी को आरोपियों के कब्जे

से मुक्त कराया। आरोपियों ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उसे मिलने के बहाने बुलाया, उसका अपहरण किया तथा भय एवं मारपीट के माध्यम से 10,000/– की राशि प्राप्त कर ली। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 51/2026 थाना पर दर्ज कर धारा 140(3), 308(5), 127(2) एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को दिनाँक 18.05.2026 को उक्त अपराधों में गिरफ्तार किया गया है, जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

7. उभयपक्ष के तर्कों तथा केस डायरी के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्तगण ने अन्य सहअभियुक्तों के साथ एकराय होकर पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत फर्जी फेसबुक आईडी एवं व्हाट्सएप के माध्यम से परिवादी को विश्वास में लेकर सुनसान स्थान पर बुलाया, जहां उसका अपहरण कर उसे वाहन में जबरन बैठाया गया, उसके साथ मारपीट की गई तथा भय एवं दबाव उत्पन्न कर उससे धनराशि प्राप्त की गई। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त सचिन की सूचना एवं इत्तिला पर घटना में प्रयुक्त वाहन संख्या RJ 60 CJ 2105 बरामद किया गया है तथा अभियुक्त नरेन्द्र की निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया है, जो प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण की अपराध में सक्रिय संलिप्तता की ओर संकेत करते हैं। उपलब्ध सामग्री से यह भी प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण ने एक गिरोह के रूप में कार्य करते हुए परिवादी को झांसे में लेने, उसे निर्धारित स्थान पर बुलाने, अपहरण करने, मारपीट कर धनराशि की मांग करने तथा धनराशि प्राप्त करने की योजना को सामूहिक रूप से अंजाम दिया। घटना में एक से अधिक व्यक्तियों की सक्रिय सहभागिता, फर्जी सोशल मीडिया आईडी का उपयोग, वाहन का प्रयोग तथा परिवादी को अपने कब्जे में रखकर धनराशि प्राप्त करने के प्रयास इस तथ्य को बल प्रदान करते हैं कि उनके द्वारा कारित अपराध सुनियोजित एवं गंभीर प्रकृति का है। यद्यपि अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं बताया गया है, किन्तु केवल इसी आधार पर उन्हें जमानत का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। वर्तमान प्रकरण में अब तक के अनुसंधान से प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण के विरुद्ध अपहरण, अवैध रूप से बंधक बनाने, मारपीट कर धनराशि वसूलने एवं आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर अपराध प्रमाणित पाये गये हैं। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किए जाने से साक्ष्यों अथवा गवाहों के प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की गंभीरता तथा

अभियुक्तगण की प्रथम दृष्टया सक्रिय भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें जमानत का लाभ प्रदान किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता।

8. परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सचिन पुत्र ख्यालीराम, उम्र 18 वर्ष निवासी धनावड़ पुलिस थाना कोलवा जिला दौसा व नरेन्द्र पुत्र कृष्णलाल, उम्र 19 वर्ष निवासी कोटा पट्टी ढिगारिया तहसील लवाण जिला दौसा की ओर से प्रस्तुत यह दोनों जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अस्वीकार कर खारिज किये जाते हैं। केस डायरी लौटाई गई।

(केशव कौशिक)
(UID No.RJ00156)
सैशन न्यायाधीश, दौसा

यह आदेश आज दिनाँक 03.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(केशव कौशिक)
(UID No.RJ00156)
सैशन न्यायाधीश, दौसा